(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2985–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 26/अपील/2014–15.

.....

1–नन्हे वीर आत्मज स्व0श्री गनेशराम पुरविया
2–सरदारसिंह आत्मज श्री गनेशराम पुरविया
दोनों निवासी ग्राम भारकच्छ कलां, तहसील बाड़ी,
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती विमलाबाई पत्नी स्व0श्री प्यारेलाल दीक्षित
2–दिलीप कुमार आत्मज स्व0श्री प्यारेलाल दीक्षित
3–चैतेन्द्र उर्फ चिन्टू स्व0 श्री प्यारेलाल दीक्षित
4–सुरेन्द्रकुमार आत्मज स्व0श्री प्यारेलाल दीक्षित
निवासीगण मारूपुरा मोहल्ला सोहागपुर जिला होशंगाबाद
5–श्रीमती कुसुम पुत्री स्व0श्री प्यारेलाल दीक्षित
निवासी मारागांव तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री आशीष गुप्ता, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–07–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भारकच्छ कलां तहसील बाड़ी जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे कमांक 28/1 रकबा 4.10 एकड़ सर्वे कमांक 50/1 रकबा 2.60 एकड़, सर्वे कमांक 28/2 रकबा 4.00 एकड़ कुल भूमि 10.70 एकड़ आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के पिता प्यारेलाल से कय की जाकर बताते हुये नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि दिनांक 9–2–95 को अपना नामान्तरण करा लिया गया । अनावेदक को उनके पिता स्व0प्यारेलाल के जीवनकाल में कोई जानकारी नहीं रही । पिता की मृत्यु उपरांत जब उनके द्वारा वारिसाना नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण द्वारा अपना नामान्तरण करा लिया गया है, अतः उनके द्वारा तहसील न्यायालय में पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा जॉच करने पर यह पाया कि जिस पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर आवेदकगण द्वारा अपना नाम दर्ज कराया गया है, वास्तव में वह पंजीकृत विकय पत्र निष्पादित ही नहीं हुआ है और विकय पत्र का जो नम्बर दर्शाया गया है उससे अन्य व्यक्तियों के मध्य अन्य भूमियों का विकय पत्र निष्पादित हुआ है अतः अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर नामान्तरण पंजी प्रविष्टि कमांक 20 दिनांक 6–1–1995 पर पारित आदेश दिनांक 9–2–95 निरस्त करते हुये पटवारी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 6–1–95 के पूर्व की स्थिति कायम की जाये और मूल स्वामियों एवं सहकृषकों में से किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय के आदेश की प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–15 को तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–7–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) व्यक्तिगत पक्षकारों के मध्य पुनर्विलोकन तभी किया जा सकता है तब संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत 60 दिवस में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये जबकि वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार द्वारा 17 वर्ष पश्चात् पुनर्विलोकन की कार्यवाही की गई है जो अत्यधिक अवधि बाह्य है । यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदकगण द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत भी नहीं किया गया है ।

(2) नामान्तरण पंजी पर स्व0प्यारेलाल के हस्ताक्षर है जिसे साक्ष्य में भी स्वीकार किया गया है और आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर धनराशि व्यय कर उपजाउ बना लिया गया है इसलिये अनावेदकगण द्वारा मन में लालच एवं बेईमानी आ जाने के कारण यह कार्यवाही की गई है, जबकि संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी एक पक्षकार को फायदा एवं दूसरे को नुकसान पहुॅचाने की दृष्टि से पुनर्विलोकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है इसलिये पुनर्विलोकन की अनुमति का आदेश प्रारंभ से ही शून्य है । तर्क के समर्थन में 2005 आरएन 148 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(4) अनावेदकगण को पुनर्विलोकन की अनुमति के साथ शपथपत्र प्रसतुत करना चाहिये था जो कि नहीं किया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की कार्यवाही करने में राजस्व मण्डल की प्रकिया तथा कार्यप्रणाली के नियमों के नियम 12 का उल्लघंन किया गया है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि का विकय स्व0प्यारेलाल द्वारा किया गया है अथवा नहीं और नामान्तरण पंजी पर उसके सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है, इसकी जॉच साक्ष्य से की जा सकती है और पुनर्विलोकन में साक्ष्य ग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है । तर्क के समर्थन में 2007 आरएन 269 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(6) जहॉ प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा व हक का प्रश्न उद्भूत हो जाये वहॉ पुनर्विलोकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । तर्क के समर्थन में 2009 आरएन 01 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण द्वारा प्यारेलाल से क्रय किया जाना बतलाया जा रहा है, जबकि इस संबंध में स्व0प्यारेलाल एवं आवेदकगण के मध्य कोई भी विक्रय पत्र निष्पादित नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानों के उल्लघंन में आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पुनर्विलोकन में नामान्तरण निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(2) जहॉ राजस्व अधिकारियों के संज्ञान में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में गंभीर अनियमितता आ जाये वहॉ पुनर्विलोकन किये जाने में समय सीमा का बंधन नहीं है औश्र इस प्रकरण में आवेदक द्वारा फर्जी दस्तावेजों से नामान्तरण कराकर शासन को राजस्व की हानि पहॅुचाई गई है ।

(3) पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई थी कि आवेदकगण द्वारा फर्जी दस्तावेजों का हवाला नामान्तरण स्वीकृत कराया गया है जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई है अतः नायब तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को श्रवण किये जाने के पश्चात् पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है अतः अपने ही आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निष्कर्ष निकालकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है जो कि विधि की गंभीर भूल है।

(4) आवेदकगण द्वारा रुपये 1,20,000/– प्रतिफल देकर विक्रय पत्र निष्पादित होना बतलाया गया है, जो कि गलत है ।

(5) पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश का कभी भी किसी भी स्तर पर पुनर्विलोकन किया जा सकता है, जिसके लिये समय सीमा लागू नहीं होती है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का

अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय सहित इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि उनके द्वारा कय की गई है । यहॉ तक कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण की ओर से पंजीकृत विकय पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है और उपपंजीयक कार्यालय में भी विकय की प्रति प्राप्त नहीं हुई है अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई थी । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–07–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर